

केन्द्रीय श्रम सेवा-II अनुभाग-
(सीएलएस-II अनुभाग)

कार्य मदें

1. सीएलएस अधिकारियों के संबंध में शिकायतें।
2. सीएलएस अधिकारियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक मामले।
3. एलईओ से संबंधित सभी मामले।
4. सीएलसी संगठन के अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित सभी मामले सभी मामले।
5. नए अधिकरणों की स्थापना सहित सीजीआईटी-सह-एलसी/सिने वर्कर्स अधिकरण/राष्ट्रीय अधिकरणों से संबंधित प्रशासनिक मामले।
6. सीएलसी(सी) और सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालयों और अधिकरणों के संगठन का बजट (योजना एवं गैर योजना) से संबंधित कार्य
7. विविध मामलों जैसे हवाई यात्रा, मानदेय, आवास, जीप, यूटीए आदि में पदों की स्वीकृति
8. अधिकरणों के पीओ की बैठक का आयोजन करना और विविध मुद्दों को निपटाना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
9. अधिकरणों और श्रम न्यायालयों द्वारा निपटाए जा रहे मामलों की प्रगति रिपोर्ट।
10. सीएलसी और अधिकरणों के कार्यालय से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियां।
11. आई.डी. अधिनियम, आई.ई. (एस.ओ.) अधिनियम के तहत अधिसूचना, शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि।
12. उपरोक्त विषयों से संबंधित संसदीय प्रश्न।

अन्य सूचना

अनुभाग का नाम: केन्द्रीय श्रम
सेवा-II
कमरा नं.: 609
दूरभाष संख्या: ऑटो
23001320 : 2302

चैनल के अधिकारी:

श्री डी.के. सेनगुप्ता - अनुभाग
अधिकारी
श्री पी.के. तमराकर- अवर सचिव
श्री देवेन्द्र सिंह - निदेशक
सुश्री गुरजोत कौर - संयुक्त
सचिव
सचिव

www.labour.gov.in

पर भी जाएँ

<http://labour.nic.in/ir/welcome.html>